



2026:AHC: 40488-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2058/1987

जमील

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बाबू लाल राम, एस० ए० जलानी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-44

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

हमारे आदेश दिनांक 02.02.2026 के अनुपालन में, जिसमें अपीलार्थी को हमारे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता थी, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने दिनांक 09.02.2026 का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जो फ्लैग 'बी' पर रखी गई है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दिनांक 09.02.2026 की रिपोर्ट के परिशीलन से पता चलता है कि की गई जाँच के उपरांत, अपीलार्थी- जमील पुत्र मुस्तजाब की मृत्यु 30.08.2022 को होना पाया गया है। रिपोर्ट के परिशीलन से यह भी पता चलता है कि पुलिस उप-निरीक्षक अनुज भारती की गवाही, जिन्हें अपीलार्थी पर तामील करने और उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए तैनात किया गया था, ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सशपथ कथन किया है कि अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है। इसी प्रकार, जमील के पुत्र दीन मोहम्मद का बयान भी दर्ज किया गया है, जिससे पता चलता है कि उनके पिता का देहांत 30.08.2022 को हो गया था। अभिलेख पर ग्राम पंचायत, कलछीना का एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, जो एकमात्र अपीलार्थी की मृत्यु की तिथि 30.08.2022 दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत कलछीना, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के प्रधान का एक प्रमाण पत्र भी है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि एकमात्र अपीलार्थी- जमील का देहांत 30.08.2022 को हो गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस मामले को देखते हुए, क्योंकि एकमात्र अपीलार्थी अब नहीं रहा, यह अपील उपशमित की जाती है।

कार्यालय द्वारा वाद शीर्षक में उपशमन दर्ज किया जाए और अवर न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाए।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

23 फरवरी, 2026

आदित्य